पत्र संख्या-3/एम.-64/2009-2108

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

दीपक कुमार,

सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

सरकार के सभी प्रधान सचिव/सचिव।

सभी विभागाध्यक्ष।

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त।

सभी जिला पदाधिकारी।

पटना, दिनांक 31 मई, 2010

विषय : सरकारी सेवकों की प्रोन्नति पर विचार करते समय विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा वार्षिक गोपनीय अभ्युक्तियों का अवलोकन–अनुपलब्ध वार्षिक गोपनीय अभ्युक्तियों के लिए प्रमाणपत्र के संबंध में।

महाशय,

कतिपय मामलों में पाया जाता है कि वार्षिक गोपनीय अभ्युक्तियों के अभिलेखन के लिए स्पष्ट मार्ग निदेश रहने के बावजूद समय पर गोपनीय अभ्युक्तियों का अभिलेखन नहीं हो पाता है। समय पर गोपनीय अभ्युक्तियों का अभिलेखन नहीं होने एवं प्रतिवेदक पदाधिकारी/समीक्षी पदाधिकारी/स्वीकरण पदाधिकारी के स्थानांतरित होने या सेवानिवृत्त/मृत होने पर ऐसी गोपनीय अभ्युक्तियों का अभिलेखन कराया जाना या हो कठिन हो जाता है या अभिलेखन हो ही नहीं पाता है। ऐसी स्थिति में प्रोन्नति के योग्य सरकारी सेवकों की भी प्रोन्नति प्रभावित हो जाती है। विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा के क्रम में यह उजागर हुआ है कि ससमय प्रोन्नति नहीं मिल पाने का एक कारण गोपनीय अभ्युक्तियों का ससमय अभिलेखन नहीं होना भी है।

2. इस परिप्रेक्ष्य में इस विभाग के पत्रांक 10570 दिनांक 24.10.07 के तहत यह निर्णय भी संसूचित किया गया कि यदि किसी कारणवश देय प्रोन्नति की तिथि/वर्ष से पिछले पाँच वर्षों में से मात्र तीन वर्षों की ही गोपनीय अभ्युक्तियाँ उपलब्ध हों तो उक्त पाँच वर्षों से भी पूर्व के संलग्न वर्षों की उपलब्ध गोपनीय अभ्युक्तियों में से दो वर्षों की अभ्युक्तियों का अवलोकन कर उनके आधार पर प्रोन्नति के मामले पर विचार किया जाय और तदनुसार प्रस्ताव विभागीय प्रोन्नति समिति के विचारार्थ रखा जाना सुनिश्चित किया जाय। परन्तु, कई मामलों में यह पाया गया है कि पिछले पाँच वर्षों में से तीन वर्षों की भी गोपनीय अभ्युक्तियाँ नहीं रहती हैं। इसके फलस्वरूप प्रोन्नति प्रभावित ही रह जाती है। प्रोन्नति प्रभावित रहने से एक ओर सरकारी सेवक की कार्यक्षमता पर प्रतिकूल असर पड़ता है तो दूसरी ओर प्रोन्नति के रिक्त पदों को समय पर भरा जाना सम्भव नहीं हो पाता है।

3. अत: सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि जिस वर्ष की गोपनीय अभ्युक्तियाँ अभिलेखित नहीं हो पायी हो और उन्हें अभिलेखित कराया जाना सम्भव नहीं रह गया हो वैसे वर्ष के लिए संबंधित सरकारी सेवक

के वर्तमान पदस्थापन-स्थान के प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/नियंत्री प्राधिकार द्वारा संबंधित सरकारी सेवक के कार्य-कौशल, चरित्र, आचरण आदि का मूल्यांकन करते हुए विशेष चारित्री प्रमाण पत्र दिया जाय। ऐसा प्रमाण पत्र संबंधित सरकारी सेवक के पूरे सेवाकाल में एक ही बार दिया जायेगा और अनुपलब्ध वार्षिक गोपनीय अभ्युक्तियों का पर्याय माना जायेगा तथा उसके आधार पर संबंधित सरकारी सेवक की प्रोन्नति हेतु योग्यता का आकलन किया जा सकेगा।

4. विशेष प्रमाण पत्र देते हुए संबंधित प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/नियंत्री प्राधिकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि भविष्य में संबंधित सरकारी सेवक की वार्षिक गोपनीय अभ्युक्तियों का अभिलेखन ससमय एवं नियमित रूप से हो। प्रमाण पत्र संबंधी उपर्युक्त विकल्प वर्ष 2009-2010 तक की अनुलब्ध वार्षिक गोपनीय अभ्युक्तियों के मामलों में ही लागू होगा।

5. कृपया उपर्युक्त अनुदेश से अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों/कर्मचारियों को अवगत कराया जाय और इसका अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।

विश्वासभाजन
दीपक कुमार
सरकार के प्रधान सचिव

बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

ज्ञापांक-1/विविध-06/2010/12448(S) पटना, दिनांक 19.8.10

प्रतिलिपि–अभियंत प्रमुख के आप्त सचिव, पथ निर्माण विभाग/सभी मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/सभी राजपत्रित पदाधिकारी, पथ निर्माण विभाग/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह/-
सरकार के उप सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।